गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क का स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया उद्घाटन

मनेंद्रगढ़ में छग के पहले जुरासिक रॉक गार्डन का हुआ शुभारंभ

पीपुल्स संवाददाता ● रायपुर

editor@peoplessamachar.co.in

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल ने मनेंद्रगढ़ वनमंडल में स्थित गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क का उदघाटन किया। छत्तीसगढ़ का मरीन फॉसिल पार्क एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है। यहां 29 करोड़ वर्ष पुराने समुद्री जीवाश्म मिले है।भारत में ऐसे जीवाश्म केवल चार अन्य स्थानों सुबांसुरी (अरुणाचल प्रदेश), राजहरा (झारखंड), दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) और खेमगांव (सिक्किम) में पाए जाते हैं। गोंडवाना फॉसिल पार्क इन सभी में सबसे बड़ा और पुराना है।

मनेंद्रगढ़ का मरीन फॉसिल पार्क इसलिए विशेष है क्योंकि यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म पार्क है। यह जीवाश्म हसदेव नदी के किनारे लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा भी प्राप्त है।

इसकी खोज 1954 में भूवैज्ञानिक एसके घोष ने कोयला खनन के दौरान की थी।यहां से द्विपटली (बायवेल्व) जीव, गैस्ट्रोपॉड, ब्रैकियोपॉड, क्रिनॉइड और ब्रायोजोआ जैसे प्राचीन समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले हैं।इसके चलते यह देशभर के शोधार्थी और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।इसकी पुष्टि 2015 में बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑ$फ पैलेंटोलॉजी, लखनऊ के द्वारा भी की गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार, यह क्षेत्र पर्मियन युग के समय समुद्र में डूबा हुआ था, ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ा, जिससे समुद्री जीव चट्टानों में दब गए और लाखों वर्षों में जीवाश्म के रूप में बदल गए, जो बाद में जलस्तर घटने से उभरकर उपर आ गए। यह पार्क गोंडवाना महाद्वीप के भूगर्भीय इतिहास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। ये फॉसिल्स उन समुद्री जीवों के अवशेष हैं जो करोड़ों वर्ष पहले यहां मौजूद समुद्र में रहते थे। प्राकृतिक परिवर्तन और पृथ्वी के पुनर्निर्माण के दौरान, समुद्र के पीछे हटने से ये जीव पत्थरों के बीच दब गए।

इसके अलावा इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया गया है। जहाँ पर्यटक फॉसिल के पत्थर को देख सकेंगे और फॉसिल बनने की प्रक्रिया को भी पेंटिंग के माध्यम से जान सकेंगे। 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी कैसे बना और अब तक उसमे क्या बदलाव हुए उसे भी जान सकेंगे।कैक्टस गार्डन और बम्बू सेटम भी विकसित किया जा रहा है। लोग हसदेव नदी में ही बम्बू राफ्टिंग का भी आनंद उठा सकेंगे।

मंत्री जायसवाल ने किया डीकेएस अस्पताल का औचक निरीक्षण

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने सोमवार को डीकेएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और मरीजों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं और व्यवहार के बारे में अपने अनुभव साझा किए। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने पाया कि अस्पताल के कई वार्डों में एसी खराब हैं, जिसके कारण मरीजों को गर्मी में असुविधा हो रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए जायसवाल ने अस्पताल प्रबंधन को 24 घंटे के भीतर सभी खराब एसी को ठीक करने या नए एसी स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।

विधायकों ने की थी मांग, नलकूप खनन शुरू

पीपुल्स संवाददाता ● रायपुर

editor@peoplessamachar.co.in

उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने भीषण गर्मी को देखते हुए विधायकों से प्राप्त नलकूप खनन और हैंडपंप स्थापना के प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता को खासतौर पर निर्देशित किया है। उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री साव के निर्देश के बाद पीएचई ने विधायकों से प्राप्त प्रस्तावों पर प्राथमिकता तय करते हुए प्रदेशभर में 500 नलकूपों के खनन और हैंडपंप स्थापना के लिए त्वरित कार्यवाही भी शुरू कर दी है।उप मुख्यमंत्री साव ने भू-जल स्तर गिरने से प्रभावित विकासखंडों के सभी स्त्रोतों पर सतत निगरानी रखने और वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी के लिए भी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-233-0008 पर प्राप्त पेयजल समस्या से संबंधित शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है। ग्रीष्म काल में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल पहुंचाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पहलगाम पीड़ितों की याद में मोमबत्ती रैली

पीपुल्स संवाददाता ● रायपुर

editor@peoplessamachar.co.in

दिनांक 27 अप्रैल 2025 को कंचन असाव परिसर, दीन दयाल उपाध्याय नगर में पहलगाम पीड़ितों की याद में एक मोमबत्ती रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निवासी पीड़ितों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए और निर्दोष नागरिकों के खिलाफ आतंक को रोकने की मांग की।कार्यक्रम में प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें मनीष लांगे, डॉ. परितोष दुबे, राजकुमार प्रजापति, डॉ. (मेजर) नलिन शर्मा, प्रेम खिलनानी, राहुल शुक्ला, सुरेश औरआशुतोष देवांगन शामिल थे। महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया, जिनमें भावना दुबे, अलका शर्मा, नीलू शर्मा, ज्योति खिलनानी और चंद्रकांता देवांगन प्रमुख थीं। इस अवसर पर अपार्टमेंट के बच्चों ने भी भाग लिया, जिन्होंने पहलगाम पीड़ितों के समर्थन में पोस्टर बनाकर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। मास्टर पार्थसारथी दुबे, मास्टर मनन शर्मा, मास्टर अयन दास, मास्टर अर्शमन कुर्रे और मास्टर अर्शित कुर्रे ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस आयोजन के माध्यम से समुदाय ने एकजुटता का प्रदर्शन किया और आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की।

खारुन नदी में डूबे दो दोस्त में से एक की मिली लाश,

पीपुल्स संवाददाता ● रायपुर

editor@peoplessamachar.co.in

खारुन नदी में डूबे दो दोस्त में से एक दोस्त की सोमवार की सुबह अर्जुन यादव की लाश एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है, जबकि दूसरे दोस्त भूपेश भूडे की तलाश कर रही है। घटना मुजगहन थाना क्षेत्र के काठाडीह सात पाखर डैम के पास की है, जब अर्जुन और भूपेश अपने दोस्तों के साथ संडे एन्जॉय करने के लिए प्लानिंग की। सभी नहाने के लिए खारुन नदी पत्रकारिता कॉलेज के पास एनीकेट पहुंचे थे। नहाने के दौरान एक युवक का पैर फिसल गया और वह पानी में डूबने लगा। ये देखते ही दूसरे युवक ने अपने दोस्त को बचाने के लिए गहरे पानी में चले गया। हादसे में दोनों डूब गए। अर्जुन यादव नवा रायपुर का निवासी था, जबकि भूपेश भूडे जोरा का निवासी है।

रायपुर में मुफ्त दवा वितरण व चिकित्सा शिविर में 180 मरीजों ने लिया डॉक्टरों से परामर्श

पीपुल्स संवाददाता ● रायपुर

editor@peoplessamachar.co.in

एसके केयर हॉस्पिटल पचपेड़ी नाका रायपुर तथा श्रेयांस एंड जी एस ओझा फाउंडेशन एवं शासकीय नवीन महाविद्यालय गुढियारी एवं संस्कृत कॉलेज रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को गुढ़ियारी स्थित संस्कृत कॉलेज परिसर में मेगा निःशुल्क परामर्श चिकित्सा शिविर का अयोजन किया गया।

शिविर में करीब 180 लोगों का विभिन्न रोगों से संबंधित बीमारियों का विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा परामर्श जांच करने के बाद दवा का वितरण किया गया। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर, शुगर, हिमोग्लोबिन , का निःशुल्क जांच भी किया गया। एस के केयर, के विशेषज्ञ डॉ जया बाजपेई डी एन बी मेडिसिन, डॉ पीयूष शुक्ला,ललित सेठी, सेवक साहू, तुमेंद्र साहू, शीतल साहू सिस्टर नैना साहू , राज, किरन साहू ने सहयोग प्रदान किया।

इस अवसर पर डॉ मधुलिका अग्रवाल (प्रिंसिपल), शासकीय नवीन महाविद्यालय गुढियारी रायपुर, डॉ कुसुम चंद्राकर, डॉ साहू, डॉ मनोज शुक्ल सहित काफी संख्या में स्टाफ एवं प्रोफेसर्स तथा स्टूडेंट्स उपस्थित रहे। डॉ मधुलिका अग्रवाल ने कॉलेज की गतिविधियों एवं स्टूडेंट्स के हेल्थ के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया । डॉ सुनील के ओझा सी ई ओ एस के केयर हॉस्पिटल पचपेड़ी नाका रायपुर ने स्टूडेंट्स को तीन एक्सरसाइज बताया जो कि अत्यंत उपयोगी होते हैं जिससे स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ेगा एवं फिट भी रहेंगे। इसी के साथ श्रेयांस एंड जी एस ओझा फाउंडेशन की चेयरपर्सन सीमा ओझा का भी धन्यवाद दिया गया जिनके प्रयास से फ्री मेडिसिन एवं लैब टेस्ट की व्यवस्था हो सकी।

इसी कड़ी में मेडिसिन विभाग की हेड डॉ जया बाजपेई ने सभींको मेंटल हेल्थ सहित फिजिकल हेल्थ को बैलेंस करने पर जोर दिया व महिलाओं की स्वास्थ्य जरूरतों पर सुझाव दिए। इस कार्यक्रम के अंत में डॉ. कुसुम चंद्राकर जी ने सभी का धन्यवाद किया एवं आज के उक्त सफल फ्री हेल्थ कैंप के लिए सभी उपस्थित गणमान्य लोगों को कॉलेज की तरफ से स्मृति चिन्ह एवं पौधे दिए गए।

OMKARA
ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.

ओमकारा एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.

CIN: U67100TZ2014PTC020363

कॉर्पोरेट कार्यालय: कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400028, ईमेल :mumbai@omkaraarc.com दूरभाष : 022-26544000
(इंडिया रिसर्जेंस एआरसी ट्रस्ट II के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए)

[परिशिष्ट - IV-A] [नियम 8(6) का परंतुक 9(1) के साथ पढ़ें]

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8(6) के उपबंध के साथ पठित धारा 9(1) के साथ।

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता, रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के पास बंधक/प्रभारित है, ने सरफेसी अधिनियम एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 23.10.2018 को मांग सूचना जारी की थी, जिसके द्वारा उधारकर्ता(ओं)/ बंधककर्ता/गारंटर/कॉर्पोरेट गारंटर यानी, 1. गुप्ता एंड कंपनी - (उधारकर्ता) हनुमान मंदिर गोयल बाजार के पास दुकान नंबर 05 चूड़ी लाइन के पास रायपुर छत्तीसगढ़- 492001 साथ ही : सी-2/22, सेक्टर -2, देवेद्रा नगर रायपुर छत्तीसगढ़-492001 साथ ही : 1(ए) अजय कुमार गुप्ता - (सह-उधारकर्ता) हनुमान मंदिर गोयल बाजार के पास दुकान नंबर 05 चूड़ी लाइन के पास रायपुर छत्तीसगढ़- 492001 साथ ही : सी-2/22, सेक्टर -2, देवेद्रा नगर रायपुर छत्तीसगढ़-492001 साथ ही : 1(बी) प्रभा देवी गुप्ता - (सह-उधारकर्ता) हनुमान मंदिर गोयल बाजार के पास दुकान नंबर 05 चूड़ी लाइन के पास रायपुर छत्तीसगढ़ -492001 साथ ही : सी-2/22, सेक्टर-2, देवेद्रा नगर रायपुर छत्तीसगढ़-492001 को 23-10-2018 तक कुल बकाया राशि रु. 2,13,44,567/- (रुपए दो करोड़ तेरह लाख चौवालीस हजार पांच सौ सड़सठ मात्र) तथा उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर उपार्जित ब्याज का भुगतान करने के लिए आवेदन करना है।

उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ताओं/गारंटरों/कॉर्पोरेट गारंटरों द्वारा उक्त डिमांड नोटिस के अनुसार 60 दिनों के भीतर संपूर्ण बकाया चुकाने में विफल रहने पर, इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत धारा 13(4) के अंतर्गत नोटिस जारी किया और 22.05.2024 तक नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा, इससे पहले रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड ने 05.11.2019 को गुप्ता एंड कंपनी का ऋण इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (आईआरएपीएल) को सौंप दिया था। और इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड ने 16.08.2024 के सुरक्षा रसीद खरीद समझौते के जरिए ओएआरपीएल के पक्ष में सभी अधिकार, शीर्षक, देनदारियों और दायित्वों को हस्तांतरित कर दिया है। इंडिया रिसर्जेंस एआरसी ट्रस्ट II के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए, ओएआरपीएल ने अब असाइनर के जूते में कदम रखा है और बकाया राशि वसूलने और सुरक्षा को लागू करने का अधिकार प्राप्त किया है। अब इसलिए ओएआरपीएल के अधिकृत अधिकारी इंडिया रिसर्जेंस एआरसी ट्रस्ट II के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों को बेचने का इरादा रखते हैं संबंधित उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता(ओं) से सुरक्षित ऋणदाता के रूप में ओएआरपीएल को देय राशि की वसूली के लिए "जहां है जैसा है", "जो कुछ भी है" और "बिना किसी सहारे के आधार पर" संबंधित कॉलम में नीचे दर्शाई गई राशि की वसूली के लिए। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा (ईएमडी) और ज्ञात भार के विवरण के साथ अचल संपत्तियों का विवरण नीचे उल्लिखित है :

संपत्ति का विवरण :- तात्यापारा, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, वार्ड क्रमांक 38, ग्राम तात्यापारा, तहसील और जिला रायपुर, (छ.ग.) में नए म्यूनिसिपल हाउस क्रमांक 38/103 (पुराना क्रमांक 30/130, 130/1, 131,16/103) के ऊपर बिल्डिंग का ग्राउंड, दूसरा, तीसरा और चौथा तल, कुल क्षेत्रफल 703.21 वर्ग मीटर (ग्राउंड फ्लोर- आरसीसी छत : 176.5 वर्ग मीटर, दूसरा फ्लोर- आरसीसी छत : 176.5 वर्ग मीटर, तीसरा फ्लोर- आरसीसी छत : 176.21 वर्ग मीटर, चौथा फ्लोर- आरसीसी छत : 124.29 वर्ग मीटर, चौथा फ्लोर- जी.आई. टिन शेड छत : 49.42 वर्ग मीटर)	
आरक्षित मूल्य : रु. 2,03,00,000/-	ईएमडी : रु. 20,03,000/-
ई-नीलामी की तिथि और समय :- 20-05-2025 सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक	
निरीक्षण की तिथि : 10-05-2025	
न्यूनतम बोली वृद्धि राशि :- रु. 2,03,000/-	
भागीदारी के बोली पत्र/KYC दस्तावेज/ईएमडी का प्रमाण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय : 19-05-2025	

नीलामी OAPL के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। बोली (ऑनलाइन और हार्ड कॉपी में) जमा करने की अंतिम तिथि ईएमडी (डीडी/पे ऑर्डर मूल रूप में या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषण) के साथ 19-05-2025 शाम 5:00 बजे तक है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://omkaraarc.com/auction.php and/or https://www.bankeauctions.com/. में दिए गए लिंक को देखें। इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे ई-नीलामी सेवा प्रदाता "मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड", से संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन हेल्पलाइन नं. : +91-7291981124/25/26, हेल्पलाइन ई-मेल आईडी: support@bankeauctions.com, श्री भाविक पंड्या maharashtra@c1india.com, (मो: 8866682937) पर और किसी भी संपत्ति से संबंधित प्रश्न के लिए अधिकृत अधिकारी, श्री शुभोदीप बनर्जी (मो: 7558392736) से संपर्क करें मेल: banerjee@omkaraarc.com इच्छुक बोलीदाताओं को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29 ए के तहत अनुपालन और घोषणा करनी होगी, विस्तृत जानकारी के लिए कृपया नियम और शर्तें देखें। वैधानिक हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित 9(1) के अंतर्गत बिक्री के लिए वैधानिक नोटिस

यह नोटिस प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित 9(1) और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता/गारंटर को 15 (पंद्रह) दिनों का अनिवार्य नोटिस भी है, जिसमें उन्हें उपरोक्त निर्दिष्ट तिथि और समय पर सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बिक्री के बारे में सूचित किया जाता है, साथ ही यह सलाह भी दी जाती है कि यदि वे चाहें तो लागत और व्यय के साथ ऊपर उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान करके आस्तियों को छुड़ा सकते हैं। भुगतान में चूक के मामले में, संपत्ति को प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति ऋणदाता के विवेक पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) के अंतर्गत निर्धारित किसी भी तरीके से बेचा जाएगा।

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी,
ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के लिए
(इंडिया रिसर्जेंस एआरसी ट्रस्ट II के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए)

दिनांक : 29.04.2025
स्थान : मुम्बई

---

motilal oswal
Home Finance

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहिमतुल्लाह सयानी रोड, पारेल एसटी डिपोट के सामने, प्रभादेवी, मुंबई-400 025, सीएस: 8291889898 **Website:** www.motilaloswalhf.com, **Email:** hfquery@motilaloswal.com

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए 15 दिन की ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ पठित। इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को गिरवी रखी गई नीचे उल्लिखित संपत्ति को "जहां है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर, बकाया राशि और आगे के ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए "ऑनलाइन ई-नीलामी" के माध्यम से बेचा जाएगा, जैसा कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वेबसाइट motilaloswalhf.com के माध्यम से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार :विस्तृत है :

ई-नीलामी की तिथि और समय: 21-05-2025 प्रात: 11:30 बजे से दोप. 02:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)			ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 20-05-2025
उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं)/ऋण खाता	डिमांड नोटिस दिनांक और राशि	अचल संपति का विवरण	आरक्षित मूल्य, ईएमडी/
LAN: LXRAI00217-180054125 शाखा : रायपुर उधारकर्ता : रविशंकर सेन सह-उधारकर्ता : अनीता रविशंकर सेन	09-07-2024 रुपये : 294855/- (दो लाख चौरानबे हजार आठ सौ पचपन रुपये मात्र)	प्लॉट नं लिग-63 ख नं-224/13 पार्क ग्रीन विस्टा आइकॉनिक होम्स अभनपुर आर एन एम अभनपुर वार्ड नं 14 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 0 0 493661 रायपुर छत्तीसगढ़	आरक्षित मूल्य : रु.350000/- (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र) ईएमडी : रु.35000/- (रुपये पैंतीस हजार मात्र)

ई-नीलामी की शर्तें और नियम : 1. नीलामी बोली दस्तावेज की आगे की शर्तों और नियमों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाती है। बोलीदाता बोली की जानकारी और सहायता, ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण और बोली फॉर्म जो ऑनलाइन जमा किया जाएगा, के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स ARCA EMART PRIVATE LIMITED के वेब पोर्टल :https://www.auctionbazaar.com/ पर जा सकते हैं। इच्छुक खरीदार उसी पोर्टल पर नीलामी के नियम व शर्तें और प्रक्रिया देख सकते हैं और भूषण मोरेश्वरराव पवार- 8657956040 और योमकेश साहू - 8097472030 से संपर्क कर सकते हैं, विवरण उपर्युक्त वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं और वे उनके केंद्रीकृत सहायता डेस्क : +91 83709 69696, ई-मेल आईडी :contact@auctionbazaar.comसे संपर्क कर सकते हैं।

स्थान : छत्तीसगढ़ दिनांक : 29.04.2025

हस्ते/-प्राधिकृत अधिकारी (मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड)
(पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

अनुवाद में त्रुटि या विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

---

motilal oswal
Home Finance

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहिमतुल्लाह सयानी रोड, पारेल एसटी डिपोट के सामने, प्रभादेवी, मुंबई-400 025, सीएस: 8291889898 **Website:** www.motilaloswalhf.com, **Email:** hfquery@motilaloswal.com

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए 30 दिन की ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ पठित। इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को गिरवी रखी गई नीचे उल्लिखित संपत्ति को "जहां है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर, बकाया राशि और आगे के ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए "ऑनलाइन ई-नीलामी" के माध्यम से बेचा जाएगा, जैसा कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वेबसाइट motilaloswalhf.com के माध्यम से नीचे दिए गए विवरण के अनुसार :विस्तृत है :

ई-नीलामी की तिथि और समय: 05-06-2025 प्रात: 11:30 बजे से दोप. 02:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)			ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 04-06-2025
उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं)/ऋण खाता	डिमांड नोटिस दिनांक और राशि	अचल संपति का विवरण	आरक्षित मूल्य, ईएमडी/
लैन: LXRAI00217-180066370 शाखा : रायपुर उधारकर्ता : अनिल सुरेश गोस्वामी सह-उधारकर्ता : अर्चना अनिल गोस्वामी गारंटर : अमितकुमार सुमंत लाल गरेवाल	25-05-2021 रुपये हेतु : 527225/- (पांच लाख सत्ताईस हजार दो सौ पच्चीस रुपये मात्र)	प्लॉट ख नंबर - 137/146, पीएचा नंबर - 46/53, आरएनएम अहिवारा, मौजा कुम्हारी, तह - धमदा जिला - दुर्ग, छत्तीसगढ़ - 491001	आरक्षित मूल्य : रु.600000/- (रुपये छह लाख मात्र) ईएमडी : रु.60000/- (रुपये साठ हजार मात्र)

ई-नीलामी की शर्तें और नियम : 1. नीलामी बोली दस्तावेज की आगे की शर्तों और नियमों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाती है। बोलीदाता बोली की जानकारी और सहायता, ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण और बोली फॉर्म जो ऑनलाइन जमा किया जाएगा, के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स ARCA EMART PRIVATE LIMITED के वेब पोर्टल :https://www.auctionbazaar.com/ पर जा सकते हैं। इच्छुक खरीदार उसी पोर्टल पर नीलामी के नियम व शर्तें और प्रक्रिया देख सकते हैं और भूषण मोरेश्वरराव पवार- 8657956040 और योमकेश साहू - 8097472030 से संपर्क कर सकते हैं, विवरण उपर्युक्त वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं और वे उनके केंद्रीकृत सहायता डेस्क : +91 83709 69696, ई-मेल आईडी :contact@auctionbazaar.comसे संपर्क कर सकते हैं।

स्थान : छत्तीसगढ़ दिनांक : 29.04.2025

हस्ते/-प्राधिकृत अधिकारी (मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड)
(पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

अनुवाद में त्रुटि या विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

सार्वजनिक सूचना

ICICI Home Finance | रजिस्टर्ड कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टॉवर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400051

कॉर्पोरेट कार्यालय: आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई- 400059
शाखा पता: प्रथम तल, इंदिरा टॉवर, ए-26, जोन II, मेन रोड व्यापार विहार बिलासपुर (सीजी) 495001
शाखा पता: क्रिसेंट प्लाजा, यूनिट-एच4, द्वितीय तल, स्वरूप टॉकीज के पास, स्टेशन रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़- 491001
शाखा पता: स्काई पार्क, ग्राउंड फ्लोर, यूनिट नंबर 1, कैनाल रोड के पास रायपुर- 492001

निम्नलिखित उधारकर्ता/उधारकर्ताओं ने आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ("आईसीआईसीआई एचएफसी") से प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन और ब्याज की अदायगी में चूक की है और ऋणों को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पतों पर एक नोटिस जारी किया गया था, लेकिन यह नोटिस तामील नहीं हुआ और इसलिए उन्हें इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है।

स. क्र.	ऋणकर्ता का नाम/सह-ऋणकर्ता /ग्यारंटर (ऋण खाता नंबर) तथा पता	सुरक्षित परिसंपत्ति का संपत्ति पता/ लागू की जाने वाली परिसंपत्ति	नोटिस भेजे जाने की तिथि/ नोटिस की तिथि तक बकाया	एनपीए दिनांक
1.	डिकेन गर्ग (उधारकर्ता), रामकुमारी गर्ग (सह-उधारकर्ता), सुरीघाट तालाब लोरमी मार्ग सुरीघाट मुंग मुंगेली छत्तीसगढ़- 495334. LHBSR00001570858.	डायवर्टेड भूमि का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल उस पर किसी भी निर्माण के साथ खसरा नं. 154/1 पर स्थित, क्षेत्रफल प्रवेश-0.093 हेक्टेयर (10000 वर्ग फीट) पीएच नं. 20/12, मुंगेली-लोरमी मार्ग पर- ग्राम सुरईघाट तालाब पारा- जिला मुंगेली में सीमा- उत्तर: सड़क , दक्षिण: बहेरिक पटेल भूमि, पूर्व में श्री ईश्वर बैस का मकान, पश्चिम: आलोक पाठक की भूमि।	23-04-2025 Rs. 1,04,06,980/-	10-04-2025
2.	डिकेन गर्ग (उधारकर्ता), रामकुमारी गर्ग (सह-उधारकर्ता), सुरीघाट तालाब लोरमी मार्ग सुरीघाट मुंग मुंगेली छत्तीसगढ़- 495334. LHBSR00001570859.	डायवर्टेड भूमि का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल उस पर किसी भी निर्माण के साथ खसरा नं. 154/1 पर स्थित, क्षेत्रफल प्रवेश-0.093 हेक्टेयर (10000 वर्ग फीट) पीएच नं. 20/12, मुंगेली-लोरमी मार्ग पर- ग्राम सुरईघाट तालाब पारा- जिला मुंगेली में। सीमा-उत्तर: सड़क, दक्षिण: बहेरिक पटेल भूमि, पूर्व : श्री ईश्वर बैस का मकान, पश्चिम : आलोक पाठक की भूमि।	23-04-2025 Rs. 4,68,842.6/-	10-04-2025
3.	उत्तरा कुमार साहू (उधारकर्ता), अमरीका साहू (सह-उधारकर्ता), बिलारी मेन रोड राहोद ब्लॉक पामगढ़ खरोरा छत्तीसगढ़-495556 LHBSR00001588550	डायवर्टेड और स्वीकृत लेआउट भूमि का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिस पर निर्माण कार्य हो, यदि कोई हो, जो प्लॉट 199 के ब्लॉक-बी में स्थित है, खसरा 62/17 का क्षेत्रफल 1250 वर्ग फीट है, मौजा- हिर्री पीएच नंबर 12, आरएनएम- बिल्हा, तहसील- बिल्हा, जिला-बिलासपुर में स्थित है। सीमा-उत्तर: सड़क, दक्षिण: गार्डन, पूर्व : प्लॉट नंबर बी-198, पश्चिम : प्लॉट नंबर बी-200	23-04-2025 Rs. 46,369/-	10-04-2025
4.	उत्तरा कुमार साहू (उधारकर्ता), अमरीका साहू (सह-उधारकर्ता), बिलारी मेन रोड राहोद ब्लॉक पामगढ़ खरोरा छत्तीसगढ़- 495556. LHBSR00001588552	डायवर्टेड और स्वीकृत लेआउट भूमि का वह टुकड़ा और पार्सल, जिस पर निर्माण कार्य हो, यदि कोई हो, जो प्लॉट 199 के ब्लॉक-बी में स्थित है, खसरा 62/17, माप 1250 वर्ग फीट, मौजा- हिर्री पीएच नंबर 12, आरएनएम-बिल्हा, तहसील- बिल्हा, जिला-बिलासपुर में स्थित है। सीमा-उत्तर : सड़क, दक्षिण : गार्डन, पूर्व : प्लॉट नंबर बी-198, पश्चिम : प्लॉट नंबर बी-200	23-04-2025 Rs. 10,59,869/-	10-04-2025
5.	शिवम गुप्ता (उधारकर्ता), पूर्णिमा गुप्ता (सह-उधारकर्ता), घनश्याम दास गुप्ता (सह-उधारकर्ता), मकान नंबर 99 वार्ड 23 सिनेमा लाइन राजनांदगांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़- 491441. LHDRG00001530579	अनुसूची-1 (सभी टुकड़ा और पार्सल परिवर्तित भूमि खसरा क्रमांक 718/2 पर स्थित है, क्षेत्रफल 225.39 वर्ग मीटर, ग्राम पेंड्री, वार्ड क्रमांक 20, रविदास वार्ड, पीएच नं. 36, रनम- करौनीभाटा, तहसील और जिला राजनांदगांव, छ.ग. 491441. सीमा-उत्तर- लीला झा का मकान। दक्षिण- अंजोरदास की भूमि। पूर्व- राष्ट्रीय राजमार्ग। पश्चिम- विक्रेता की भूमि) अनुसूची-2 (सभी टुकड़ा और पार्सल परिवर्तित भूमि खसरा क्रमांक 718/5 पर स्थित है, क्षेत्रफल 200.07 वर्ग मीटर, ग्राम पेंड्री, वार्ड नं. 20, रविदास वार्ड, पीएच नं. 36, रनम- करौनीभाटा, तहसील और जिला राजनांदगांव, छ.ग. 491441. सीमा : उत्तर- लीला झा का मकान, दक्षिण : विक्रेता की भूमि। पूर्व : विक्रेता की भूमि। पश्चिम- चन्द्रपरी मिश्रा की भूमि)। अनुसूची-3 (वह समस्त टुकड़ा और पार्सल जो उलटा हुआ है, परिवर्तित भूमि खसरा क्रमांक 718/8 पर स्थित है, क्षेत्रफल 490.18 वर्ग मीटर, ग्राम पेंड्री, वार्ड क्रमांक 20, रविदास वार्ड, पीएच नं. 36, आरएनएम- करौनीभाटा, तहसील और जिला राजनांदगांव, सी.जी. 491441. सीमा : उत्तर- विक्रेता की भूमि। दक्षिण- अंजेरदास की भूमि। पूर्व- विक्रेता की भूमि। पश्चिम- चन्द्रपरी मिश्रा की भूमि।) सीमा- उत्तर : श्रीमान की भूमि और मकान, दक्षिण : श्री अंजोर का मकान और सड़क, पूर्व : श्री राजिंदर कौर का मकान, पश्चिम : श्री उमेश मिश्रा का मकान।	17-04-2025 Rs. 67,97,133/-	05-04-2025
6.	शिवम गुप्ता (उधारकर्ता), पूर्णिमा गुप्ता (सह-उधारकर्ता), घनश्याम दास गुप्ता (सह-उधारकर्ता), मकान नंबर 99 वार्ड 23 सिनेमा लाइन राजनांदगांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़- 491441. LHDRG00001530580.	अनुसूची-1 (वह सारा टुकड़ा और पार्सल उलटा हुआ) परिवर्तित भूमि खसरा संख्या 718/2 पर स्थित है, क्षेत्रफल 225.39 वर्ग मीटर, ग्राम पेंड्री, वार्ड क्रमांक 20, रविदास वार्ड, पीएच नं. 36, आरएनएम-करौनीभाटा, तहसील और जिला राजनांदगांव, सी.जी. 491441 सीमा- उत्तर- लीला झा का मकान। दक्षिण- अंजोरदास की भूमि। पूर्व- राष्ट्रीय राजमार्ग। पश्चिम- विक्रेता की भूमि)। अनुसूची-2 (वह समस्त टुकड़ा और पार्सल परिवर्तित भूमि खसरा नं. 718/5, क्षेत्रफल 200.07 वर्ग मीटर, ग्राम पेंड्री, वार्ड नं. 20, रविदास वार्ड, पीएच नं. 36, आरएनएम- करौनीभाटा, तहसील और जिला राजनांदगांव, सी.जी. 491441 पर स्थित है। सीमा-उत्तर में - लीला झा का मकान। दक्षिण में - विक्रेता की भूमि। पूर्व में - विक्रेता की भूमि। पश्चिम में - चंद्रपरी मिश्रा की भूमि)। अनुसूची-3 (सभी वह टुकड़ा और पार्सल उलटा हुआ ना परिवर्तित भूमि खसरा नं. 718/8 पर स्थित है, क्षेत्रफल 490.18 वर्ग पेंड्री, वार्ड नं. 20, रविदास वार्ड, पीएच नं. 36, आरएनएम- करौनीभाटा, तहसील और जिला राजनांदगांव, सी.जी. 491441. घिरा हुआ : उत्तर- विक्रेता की भूमि। दक्षिण- अंजेरदास की भूमि। पूर्व- विक्रेता की भूमि। पश्चिम- चंद्रपरी मिश्रा की भूमि।) घिरा हुआ : उत्तर : श्री की भूमि और मकान, दक्षिण : श्री अंजोर का सड़क और मकान, पूर्व श्री राजिंदर कौर का मकान, पश्चिम : श्री उमेश मिश्रा का मकान।	17-04-2025 Rs. 5,673/-	05-04-2025
7.	पी. अक्षय नायडू (उधारकर्ता), पी कल्पना नायडू (सह-उधारकर्ता), एच एन 20ए 07 सेक्टर 1 भिलाई 1 दुर्ग दुर्ग, अंजोरा, फ्लैट, अंजोरा, दुर्ग छत्तीसगढ़- 491001. LHDRG00001642470.	वह सारी जमीन का टुकड़ा और पार्सल प्लॉट- 13-सी, माप 803.88 वर्ग फीट, खसरा नंबर 607/1, स्थित पीएच नंबर 54, गांव पुरई, जिला- दुर्ग, से घिरा हुआ-उत्तर : सड़क, दक्षिण : बंगला नंबर 14-सी, पूर्व : सड़क, पश्चिम : बंगला नंबर 12-सी	17-04-2025 Rs. 25,47,353/-	05-04-2025
8.	पी. अक्षय नायडू (उधारकर्ता), पी कल्पना नायडू (गारंटर), एच एन 20ए 07 सेक्टर 1 भिलाई 1 दुर्ग दुर्ग, अंजोरा, फ्लैट, अंजोरा, दुर्ग छत्तीसगढ़- 491001. LHDRG00001642653.	वह सारी जमीन का टुकड़ा और पार्सल प्लॉट- 13-सी, माप 803.88 वर्ग फीट, खसरा नंबर 607/1, स्थित पीएच नंबर 54, गांव पुरई, जिला- दुर्ग, से घिरा हुआ- उत्तर : सड़क, दक्षिण : बंगला नं. 14-सी, पूर्व : सड़क, पश्चिम : बंगला नंबर 12-सी	17-04-2025 Rs. 80,509/-	05-04-2025
9.	लकी सिंह (उधारकर्ता), हरजीत कौर (सह-उधारकर्ता), एलआईजी 89 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड भिलाई भिलाई छत्तीसगढ़ 490023. LHRPR00001474330.	डायवर्टेड का पूरा टुकड़ा और साथ ही उस पर कोई निर्माण कार्य प्लाट 40ए पर स्थित- खसरा नं 1047/47 क्षेत्रफल 800 वर्ग फीट, वार्ड क्रमांक 16, (गोकुलधाम क्षेत्र) पीएच नं. 50, आरएनएम- कोहका, तहसील और जिला- दुर्ग। सीमा उत्तर : प्लाट नं. 40बी, विक्रेता की शेष भूमि, दक्षिण : प्लाट नं. 39, विक्रेता की शेष भूमि, पूर्व : प्लाट नं. 61, विक्रेता की शेष भूमि, पश्चिम : रोड।	17-04-2025 Rs. 2,99,708/-	05-04-2025
10.	लकी सिंह (उधारकर्ता), हरजीत कौर (सह-उधारकर्ता), एलआईजी 89 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड भिलाई भिलाई छत्तीसगढ़- 490023. LHRPR00001474331.	डायवर्टेड का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल और उस पर कोई निर्माण कार्य सहित प्लॉट 40ए- खसरा नं. 1047/47 पर स्थित 800 वर्ग फीट क्षेत्रफल, वार्ड क्रमांक 16, (गोकुलधाम क्षेत्र) पीएच नं. 50, आरएनएम- कोहका, तहसील और जिला- दुर्ग। सीमा - उत्तर : प्लॉट नं. 40बी, विक्रेता की शेष भूमि, दक्षिण : प्लॉट नं. 39, विक्रेता की शेष भूमि, पूर्व : प्लॉट नं. 61, विक्रेता की शेष भूमि, पश्चिम : रोड।	17-04-2025 Rs. 37,940.52/-	05-04-2025
11.	टिकेश कुमार बंछोर (उधारकर्ता), सुरिम्ता बंछोर (सह-उधारकर्ता), एच क्रमांक 22 381 दुर्गा नगर पंडरी तराई छत्तीसगढ़ रायपुर छत्तीसगढ़ रायपुर छत्तीसगढ़- 492001. LHRPR00001482193.	खसरा 262/6 पर उस पर निर्माण सहित जमीन का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, 8700 वर्ग फीट क्षेत्रफल, पीएच नं. 115/79 आरएनएम रायपुर, (छत्तीसगढ)। सीमा- उत्तर : सड़क, दक्षिण : तरुण वैद्य की भूमि, पूर्व : तरुण वैद्य की भूमि, पश्चिम : जगदीश विश्वास की भूमि।	17-04-2025 Rs. 23,71,838/-	05-04-2025
12.	टिकेश कुमार बंछोर (उधारकर्ता), सुरिम्ता बंछोर (सह-उधारकर्ता), एच नंबर 188 फेस-2 सेमरिया नगर, रायपुर डीपीएस स्कूल छत्तीसगढ़ रायपुर छत्तीसगढ़- 492001. LHRPR00001482194.	भूमि का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिस पर निर्माण कार्य हो रहा हो, खसरा 262/6, क्षेत्रफल 8700 वर्ग फीट, पीएच नं. 115/79 आरएनएम रायपुर, (छत्तीसगढ)। सीमा- उत्तर : सड़क, दक्षिण : तरुण वैद्य की भूमि, पूर्व : तरुण वैद्य की भूमि, पश्चिम : जगदीश विश्वास की भूमि।	17-04-2025 Rs. 1,45,484.62/-	05-04-2025
13.	टिकेश कुमार बेंछोर (उधारकर्ता), सुरिम्ता बंछोर (सह-उधारकर्ता), हेमा बंछोर (सह-उधारकर्ता), अभिषेक बंछोर (सह-उधारकर्ता), मकान नंबर 488 चरण 2 बलौदाबाजार रोड रोड डीपीएस स्कूल सुमित परिदृश्य सेमरिया रायपुर मंधार छत्तीसगढ़-493111. LHRPR00001557156	भूमि का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिस पर निर्माण कार्य हो रहा हो, यदि कोई हो, प्लॉट नं. 488, खसरा नं. 719 का भाग, क्षेत्रफल 1221 वर्ग फीट, पीएच नं. 80/1, ग्राम- सेमरिया, आरएनएम- हसौद, तहसील- आरंग- जिला- रायपुर (छ.ग.)। सीमा-उत्तर : प्लॉट नं. 487, दक्षिण : खुला प्लॉट, पूर्व : खुला प्लॉट, पश्चिम : सड़क।	17-04-2025 Rs. 27,91,389/-	05-04-2025
14.	टिकेश कुमार बेंछोर (उधारकर्ता), सुरिम्ता बंछोर (सह-उधारकर्ता), हेमा बंछोर (सह-उधारकर्ता), अभिषेक बंछोर (सह-उधारकर्ता), मकान नंबर 488 चरण 2 बलौदाबाजार रोड रोड डीपीएस स्कूल सुमित परिदृश्य सेमरिया रायपुर मंधार छत्तीसगढ़-493111. LHRPR00001557157.	प्लॉट नं. 488, खसरा नं. 719 का भाग, क्षेत्रफल- 1221 वर्ग फीट, पीएच नं. 80/1, ग्राम- सेमरिया, आरएनएम- हसौद, तहसील- आरंग- जिला- रायपुर (छग) पर भूमि का वह टुकड़ा और पार्सल जिस पर कोई निर्माण कार्य हो, यदि हो तो। सीमा-उत्तर : प्लॉट नं. 487, दक्षिण : खुला प्लॉट, पूर्व : खुला प्लॉट, पश्चिम : सड़क।	17-04-2025 Rs. 17,72,462/-	05-04-2025
15.	टिकेश कुमार बेंछोर (उधारकर्ता), सुरिम्ता बंछोर (सह-उधारकर्ता), हेमा बंछोर (सह-उधारकर्ता), अभिषेक बंछोर (सह-उधारकर्ता), मकान नंबर 488 चरण 2 बलौदाबाजार रोड रोड डीपीएस स्कूल सुमित परिदृश्य सेमरिया रायपुर मंधार छत्तीसगढ़-493111. LHRPR00001557158.	प्लॉट क्रमांक 488, खसरा नंबर 719 का हिस्सा, क्षेत्रफल 1221 वर्ग फीट, पीएच नंबर 80/1, ग्राम- सेमरिया, आरएनएम- हसौद, तहसील- आरंग- जिला- रायपुर (छ.ग.) पर भूमि का वह टुकड़ा और पार्सल, जिस पर कोई निर्माण कार्य हुआ हो, यदि हो तो। उत्तर : प्लॉट क्रमांक 487, दक्षिण : खुला प्लॉट, पूर्व : खुला प्लॉट, पश्चिम : सड़क।	17-04-2025 Rs. 1,60,506.5/-	05-04-2025

नोटिस की प्रतिस्थापन सेवा के लिए कदम उठाए जा रहे है। उपरोक्त उधारकर्ता/ओं और/या उनके गारंटरों (जैसा लागू हो) को सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान करें अन्यथा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे कदम उठाए जाएंगे।

दिनांक : अप्रैल 29, 2025,
स्थान : बिलासपुर, राजनंदगांव, दुर्ग, भिलाई, रायपुर

अधिकृत अधिकारी,
आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड